# भिन्न स्थानों पर 3000 करोड़ निवेश तो भी अल्ट्रा मेगा इकाइयों को पैकेज

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ : सरकार ने औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत अल्ट्रा मेगा इकाइयों को दी जाने वाली रियायतों से जुड़ी शर्तों को लचीला किया है। इसके तहत यदि कोई कंपनी प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करती है तो उसे एकीकृत मानते हुए कस्टमाइज पैकेज की सुविधाएं दी जाएंगी। कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विभाग से जुड़े इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके तहत मेसर्स आवाडा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड को कस्टमाइज पैकेज का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया गया।

औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने बताया कि अवाडा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदेश में पांच गीगावाट एकीकृत सौर विनिर्माण इकाई में सौर इनगाट-वेफर, सोलर सेल और सौर माड्यूल का उत्पादन किया जाएगा। कंपनी प्रस्तावित परियोजना में 11,399 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है। परियोजना के लिए 150 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जिसमें 50 एकड़ ग्रेटर नोएडा (गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद क्षेत्र) तथा 100 एकड़ हाथरस (पश्चिमांचल) में उपलब्ध है। औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत केस टू केस आधार पर प्रोत्साहन का प्रविधान किया गया है। यह प्रोत्साहन विशेष महत्व की अल्ट्रा मेगा श्रेणी परियोजनाओं (3000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं) को कस्टमाइज पैकेज के रूप में प्रदान किया जाएगा। नन्दी ने बताया कि दो चरणों में पूरी होने वाली इस परियोजना से 4500 रोजगार सृजित होंगे। कंपनी द्वारा बुंदेलखंड में सोलर पावर उत्पादन इकाई स्थापित की जाएगी। फिलहाल आवेदक इकाई ने परियोजना रिपोर्ट में सौर ऊर्जा इकाई के लिए 3054 करोड़, उत्कृष्टता केंद्र के लिए 20 करोड़, अनुसंधान के लिए 40 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इकाई द्वारा विभिन्न स्थानों पर निवेश किया जा रहा है, इसलिए केस टू केस आधार पर इन परियोजनाओं को एक परियोजना मानकर ही कैबिनेट ने अनुमोदन प्रदान किया है।